भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4180

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण में पारदर्शिता

4180. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेषकर मध्य प्रदेश में पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कटनी और पन्ना जिलों तथा खजुराहो शहर के सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें इसमें शामिल कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा खाद्यान्नों का प्रभावी और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को मध्य प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। वर्तमान में, 81.35 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 80.56 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की है।

(ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। वर्तमान में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 534.79 लाख लाभार्थियों की पहचान की है, जो मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित लक्षित कवरेज का 97.87% है। लाभार्थियों की पहचान और कवरेज का जिलेवार आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

.....2/-

(ग) और (घ): खाद्यान्नों का प्रभावी एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चोरी को कम करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के आकड़ों को पूरी तरह से डिजिटल (100%) कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल तथा ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू कर दिए गए हैं। साथ ही सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण योजना को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू कर दिया गया है तथा 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्नों के वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण लगाकर कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से 5.41 लाख (99.6%) उचित दर दुकानों (एफपीएस) को स्वचालित कर दिया गया है।

******